बिहार में जमींदारी उन्मूलन : एक अध्ययन

डॉ0 रजनीश कुमार*

सारांश :– जमींदारी व्यवस्था भूमि के स्वामित्व से जूड़ी एक राजनैतिक–सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें भूमि का स्वामित्व जमींदार के पास होता था। 22 मार्च 1793ई0 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के अनियमित राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू किया। इस अराजक व्यवस्था ने बिहार के सामाजिक जीवन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया और समाज में विकृतियाँ भी बढ़ा दी। किसान लगातार भूमि से बेदखल होने के साथ कर्जदार और सूदखोरों के जाल में फँसते गये। परिणामस्वरूप बिहार में किसान आंदोलन का जन्म हुआ जो आगे चलकर जातीय आंदोलन में रूपांतरित हो गया। किसान आंदोलन से बिहार का हर जिला प्रभावित रहा। किसान सभा के माध्यम से स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल सांस्कृत्यायन ने किसानों का नेतृत्व किया। तत्पश्चात 1944 और 1948 में कृषि सुधारों से संबंधित कमेटी बनाई गई। कमेटी के अनुशंसा पर ही देश में भूमि सुधार के प्रयास हुए। 1947 में बिहार सरकार ने इससे संबंधित एक विधेयक पारित किया जिसपर गर्वनर जनरल की स्वीकृति 1948 में मिली। स्वीकृति के साथ ही बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून प्रकाशित हुआ। 1952 में बिहार भूमि सुधार कानून 1950 में रूप में लागू हुआ।

मुख्य शब्दः– जमींदारी प्रथा, स्वामित्व, जमींदार, इस्तमरारी बंदोबस्त, सूत्रपात, दीवानी अधिकार, भू–राजस्व, पंचवर्षीय–प्रणाली, दसवर्षीय–प्रणाली, अपेक्षित लाभ, अनियमितता, भू–पति, स्थानांतरण, रैयत, बेदखल, आराजकता, वरिष्ठ, कर्जदार, सूदखोर, उन्मूलन, काश्तकारी, अध्र–रैयत, खुदकाश्त भूमि।

जमींदारी प्रथा भूमि के स्वामित्व से जूड़ी एक राजनैतिक सामाजिक प्रथा थी, जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले (कृषक) का न होकर किसी और व्यक्ति यानी जमींदार का होता था। जमींदार ही उक्त भूमि पर खेती करने वाले कृशकों से कर वसूलते थे।[1] भारत में सबसे ज्यादा जमींदारियाँ अगर किसी की रही तो वो क्षत्रिय राजपूत थे।[2]

बिहार के संदर्भ में कृषि व भूमि संबंधों के विष्लेशण हेतु 22 मार्च 1793ई0 में कंपनी के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित भूमि व्यवस्था जिसे हम स्थायी बंदोबस्त/इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं का संक्षिप्त विश्लेषण आवश्यक है। स्थायी बंदोबस्त के तहत कंपनी ने जिस नए संपति संबंधों का सूत्रपात किया वह आज भी बिहार में किसी न किसी रूप में मौजूद है।[3] प्लासी युद्व (23 जून 1757) और बक्सर युद्व (22 अक्टुबर 1764) की लड़ाई के बाद 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का दीवानी अधिकार स्थापित हुआ, उस समय बिहार में रैयतों कि स्थिति औरंगजेब (1658–1707) के शासनकाल से भी खराब थी।[4] इसलिए 1772ई0 में बंगाल पर प्रत्यक्ष अधिकार होने के बाद कंपनी की नजर सबसे पहले भू–राजस्व की ओर गई। लार्ड कॉर्नवालिस जल्दी से जल्दी राजस्व की अनिश्चित्ता से उबरना चाहता था। क्योंकि 1772ई0 में स्थापित पंचवर्षीय फसल प्रणाली ओर 1787ई0 में स्थापित दसवर्षीय व्यवस्था का अपेक्षित लाभ कंपनी को नहीं मिला था। कॉर्नवालिस राजस्व की अनियमितता को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प था। जॉन, सोर जैसे अंग्रेज अपसरों ने इसका विरोध भी किया लेकिन उसका कोई खास असर कॉर्नवालिस के उपर नहीं हुआ। कृतसंकल्प कार्नवालिस द्वारा पहली बार जमींदारो को भूमि का स्वामित्व सौंपा गया, और इन्हें जमीन का मालिक घोषित किया गया। इस तरह संपत्ति के लिहाज से भारतीय इतिहास में यह एक नई घटना थी। जमीन को निजी संपत्ति बनाकर उसे जमिंदारों के हवाले कर भारतीय समाज में भू–पतियाँ का एक नया वर्ग तैयार किया गया। इस व्यवस्था में लगान वसूल करने के साथ–साथ जमींदारों को पहले से कायम भूमि संबंधों में परिवर्तन करने का अधिकार भी षामिल था। जमींदारों को अपने इस अधिकार का स्थानांतरण और बॅटवारा करने का भी अधिकार था। जमींदार अपनी जमींदारी को बेंच सकते थे, बंधक रख सकते थे या किसी को उपहार दे सकते थे।[5] इस व्यवस्था में कंपनी के तरफ से भू–राजस्व तो तय कर दिया गया, लेकिन यह तय नहीं किया गया कि जमींदार रैयतों से कितना लगान वसूल करेगें। जमींदारों को अपनी जमीन किराया पर देने, रैयतों को जमीन से बेदखल करने और लगान का भुगतान नहीं करने पर उनकी संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई यह व्यवस्था अनेक कमियों एवं अंतरविरोधों से भरी हुई थी। इस व्यवस्था ने बिहार के जीवन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया।

पुरानी व्यवस्था तो समाप्त कर दी गई, लेकिन नई व्यवस्था में लोगों को उनके पारस्परिक अधिकारों और अवसरों से पूर्णत्या बंचित कर दिया गया। हजारों किसान जमीन से बेदखल होकर खेतिहर मजदूर बनने के लिए बाध्य होने लगे। ग्रामीण प्रशासन तंत्र के नष्ट होने से समाज में आराजकता चोरी, डकैती, लूट, भ्रष्टाचार व अन्य विकृतियाँ भी बढ़ गई।[6] शाहबाद जिले के बारे में एक अंग्रेज अफसर ने अपने वरिष्ठ को रिर्पोट भेजी कि शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो

***जय प्रकाश विष्वविद्यालय, छपरा**

जब यहाँ कोई अफसर या नागरिक नहीं लूटा जाता है।[7] एक तरफ कर लगातार बढ़ते गये और किसान लगातार कर्जदार बनते गये। किसान सूदखोर और महाजन के जाल में इस कदर फंसते चले गये कि उससे निकले का उनके पास कोई उपाय नहीं रहा गया। फसल पकते ही उसे सूदखोर और महाजन के यहाँ गिरवी रखना पड़ता था। इस प्रक्रिया से वे लगातार भूमिहीन होते गये। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें ज्यादातर छोटी जातियाँ मसलन यादव, कुर्मी, कोईरी, और धानुक थे। इन जातियों को आर्थिक परेशानी के साथ–साथ जमींदारों (जो राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जाति से हुआ करते थे) के हाथों जातीय उत्पीड़न को भी सहना पड़ता था। यही कारण है कि राजनीतिक चेतना जातीय चेतना की सहभागी रहा है। उल्लेखनिय यह भी है कि बिहार में किसान आंदोलन जातीय आन्दोलनों के विस्तारित रूप में सामने आया।[8] जमींदारी उन्मूलन कृषि संबंधों के जिस चरित्र का उदभव 1793 के स्थायी बंदोस्त प्रणाली को लागू करने के फलस्वरूप हुआ, उससे छुटकारा पाए बिना न तो कृषि को विकसित किया जा सकता था और न कृषि संबंधों में परिवर्तन, यह आजादी की लड़ाई के दौरान ही साबित होने लगा था। बिहार में किसान सभा के माध्यम से स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल संस्कृत्यायन के नेतृत्व में किसानों ने जाता दिया था कि उनमें उस व्यवस्था से छुटकारा पाने की कितनी कसमसाहट है। आजादी के बाद किसानों में हितों एवं आकांक्षाओं को नजर अंदाज करना भारत और बिहार के नये शासकों के लिए संभव नहीं रह गया था। सन् 1944ई0 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में कृषि सुधारों से संबंधित एक कमेटी बनी, जिसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन की अनुशंसा की गई। इसके बाद 1948ई0 में भारत सरकार ने एक दूसरी कमेटी जे0सी0 कुमाख्या की अध्यक्षता में बनाई। इन आयोगो की अनुषंसा पर ही देश में भूमि सुधार के प्रयास हुए। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे तीन उद्देश्यों–

(1) जमींदारी उन्मूलन
(2) काश्तकारी नियमों में सुधार तथा
(3) भूमि हकबंदी को ध्यान में रखकर संबंधित राज्यों के लिए भूमि सुधार कानून बनाए तथा लागू करे।

चूँकि भूमि राज्य–सूची में है, इसलिए यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर दी गई।[9] बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जय प्रकाश नारायण एवं कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के कायानंद की अगुआई में वहाँ के किसानों ने जमींदारी उन्मूलन के लिये जबर्दस्त आंदोलन किया था। इन्हीं आंदोलनों के दबाव में जब 1937 और 1946 में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसे भूमि सुधार के प्रति अपनी निष्ठा अपने प्रस्ताव में जाहिर करनी पड़ी तथा

अपने प्रस्ताव में कृषि व्यवस्था में वैधानिक उपायों के जरिये परिवर्तन की बात रखने के लिए कांग्रेस को बाध्य होना पड़ा।

जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश करने वाला बिहार देश का पहला राज्य था, लेकिन जमींदारों और भू–स्वामियों के प्रबल विरोध के कारण अनेक वर्षो तक उसे कानून बनने से रोका गया। इसका विरोध कितना प्रबल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विरोधियों की पंक्ति में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद भी खड़े थे। जहाँ राजेन्द्र प्रसाद राजनीतिक मंचो से जमींदारी उन्मूलन का विरोध कर रहे थे वहीं दरभंगा महाराज अदालत और अखबारों के माध्यम से कर रहे थे, जबकि विधानसभा के सर चन्द्रशेखर के अलावा कई छोटे बड़े जमींदार असंसदीय तरीकों से इसका विरोध कर रहे थे।[10] 1947–49 के बीच जमींदारो ने रैयतों और उनके नेताओं को न सिर्फ डरा–धमका कर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की बल्कि कई बार उन्हें हानि भी पहुँचायी। अपने सामाजिक–आर्थिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए जमींदारों ने 'जमींदार यूथ लीग' नामक संगठन बनाया। यहॉ तक की जमींदारों ने निजी सेना बनाई और रैयातों द्वारा जोते बोये जा रहे बकाश्त जमीन को ताकत के बल पर हासिल करने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया में जमींदारों एवं रैयतों के बीच बेगुसराय जिले के बिहता, चंपारण के रामगढ़वा, मुंगेर के बड़ाहिया, दरभंगा के बल्लीपुर, पशुआ और मधेपुर, बिहार शरीफ के मुहरी, भोजपुर के दरियागॉव, पटना के अलवरपुर, गया के नीगंज तथा पूर्णीया के कुरसेला आदि के अलावा कई अन्य जगहों पर भी संधर्ष हुए, जिसमें बहुत से रैयत मारे गये और घायल हुए।[11] जमींदारों ने जमींदारी उन्मूलन कानून रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। इनलोगो ने कांग्रेस नेतृत्व को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की।

जमींदारों की जब उक्त सारी कोशिशें विफल रहीं तो उन्होनें के0बी0 सहाय जैसे जमींदारी उन्मूलन के समर्थन नेता को बदनाम करने की कोशिश की, यहाँ तक की महात्मा गाँधी को भी प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन अंततः बिहार सरकार को 1947 में यह विधेयक प्राप्ति करना पड़ा और गर्वनर जनरल की स्वीकृति के बाद 1948 में बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून प्रकाशित किया गया। 1952 में जाकर सुधार कानून 1950 के रूप में लागू हुआ। इसके बाद जमींदारों ने सरकार के साथ असहयोग का रास्ता अपनाय और लगान सूची से संबंधित गॉवों के रिकार्ड देने से इनकार कर दिया। सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी, कि किसके पास कितनी भूमि है या कौन रैयत है और कौन अध्र–रैयत।[12] जमींदारी उन्मूलन के नए कानून ने मालगुजारी वसूलने के अधिकार के साथ पेड़ों, जंगलों, तलाब तथा खनिज पर जमींदारों के

अधिकार–समाप्त कर दिये, ये सारे अधिकार अब राज्य के पास आ गये। बिहार के जमींदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1510 मिलियन रूपये और उत्तर प्रदेष के जमींदारों को 1634 मिलियन रूपये दिये गये।[13] जमींदारी तो समाप्त कर दी गई लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जमीन पर उनका सारा अधिकार–समाप्त हो गया। सर खुदकाष्त जमीन के अलावा खास संपत्ति रखने की उन्हें अभी भी इजाजत थी। खुदकाष्त जमीन जो जमींदारी उन्मूलन के पहले निजी खेती के नाम पर जमींदारों के अधिकार में थी। ऐसी जमीन का रकबा 15 लाख एकड़ था।

सन् 1950 के आंकड़ो के मुताबिक उस समय राज्य में 739 जमींदार घराने थे, जबकि स्थायी बंदोस्त वाले इस्टेट की संख्या 21772 थी। ये इस्टेट सरकार को सलाना भू–राजस्व के रूप में एक करोड़ आठ लाख रूपया देते थे। आर्थिक विशमता पर जमींदारी उन्मूलन का सबसे प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि रैयत और जोतदार विषेशकर छोटे रैयत, जोतदार रातों–रात भूमिहीन मजदूर में तब्दील हो गये।[14] जहाँ ऐसा नहीं हुआ वहॉ भी रैयतों की स्थिति कोई अच्छी नहीं रही। जमींदारो ने केवल उसी जमीन को रैयतों के पास रहने दिया, जिससे उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं था।

संदर्भ सूचीः–

1. जमींदारी प्रथा– विकिपीडिया
2. वही
3. दास, अरबिन्द नारायण– एग्रेरियन अनरेस्ट एण्ड सोसियो इकॉनामिक चेंज, 1980, पृ0–22
4. सिंह, कुमार नरेन्द्र– बिहार में निजी सेनाओं का उदभव और विकास, वाणी प्रमाषन, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ0–21
5. वही, पृ0–22
6. एम्बी, ए0टी0– चार्ल्स ग्रांट एण्ड ब्रिटिष रूल इन इण्डिया, लंदन, 1962, पृ0–115–16
7. सिंह, उपेन्द्र नारायण– बिहार में ग्रामीण जीवन के कुछ पहलू: एक आर्थिक अध्ययन, 1793–1833 जानकी प्रकाषन, 1980, बिहार, पटना पृ0– 70–74
8. सिंह, कुमार नरेन्द्र– बिहार में निजी सेनाओं का उदभव और विकास, पृ0– 23.
9. नील, डब्लू सी0 – लैण्ड रिफार्म इन उत्तर प्रदेष इण्डिया एजेंसी फॉर इन्टरनेषनल डेवलपमेंट, स्प्रिंगारिव्यु, 1970, पृ0–42

10. दास, अरबिन्द नारायण– रिपब्लिक ऑफ बिहार, पृ0–35.
11. सर्चलाइट पटना, 13 सितम्बर, 1947.
12. थार्नर, डेनियल– दी एग्रेरियन प्रास्पेक्ट इन इण्डिया, दिल्ली, 1956, पृ0–19.
13. सिंह, कुमार नरेन्द्र– बिहार में निजी सेनाओं का उदभव और विकास पृ0–28
14. वही–